



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10112021-230993  
CG-MH-E-10112021-230993

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 546]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2021/कार्तिक 18, 1943

No. 546]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2021/KARTIKA 18, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 9 नवम्बर, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेवी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/57.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से तीसवें दिन लागू होंगे:  
परंतु यह कि विनियम 15 के उप-विनियम (1) के खंड (घ) में किए गए संशोधन राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में,-

- I. विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(चक) “सह-निवेश” (को-इन्वेस्टमेंट) का अर्थ है - प्रवर्ग-I और प्रवर्ग-II की आनुकल्पिक निवेश निधि (निधियों) [ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड] के प्रबंधक या प्रायोजक (स्पॉन्सर) या निवेशक द्वारा उन इन्वेस्टी कंपनियों (ऐसी कंपनियाँ जिनमें निवेश किया जाए) में किया गया निवेश, जिनमें ऐसी प्रवर्ग-I या प्रवर्ग-II की आनुकल्पिक निवेश निधि (निधियाँ) निवेश करती हो (हों):

परंतु यह कि आनुकल्पिक निवेश निधि के निवेशकों द्वारा सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) ‘सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक’ के जरिए किया जाएगा, जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में उल्लेख किया गया है।”

- II. विनियम 15 के उप-विनियम (1) में,

- i. खंड (ख) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(ख) प्रबंधक या प्रायोजक (स्पॉन्सर) या सह-निवेशक (को-इन्वेस्टर) द्वारा किसी इन्वेस्टी कंपनी में किए जाने वाले सह-निवेश की शर्तें आदि आनुकल्पिक निवेश निधि के निवेश की शर्तों आदि की तुलना में ज्यादा हितकर नहीं होंगी:

परंतु यह कि किसी इन्वेस्टी कंपनी में किए जाने वाले सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) से निकास (एग्जिट) की शर्तें आदि (जिनमें निकास का समय आदि भी शामिल है) वैसी ही होंगी, जैसी आनुकल्पिक निवेश निधि के निकास के मामले में लागू हैं:

परंतु यह और कि उपरोक्त परंतुक इस विनियम के लागू होने की तारीख से सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) के मामले में ही लागू होगा।”

- ii. खंड (घ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(घ) प्रवर्ग-III की आनुकल्पिक निवेश निधियाँ किसी एक इन्वेस्टी कंपनी की सूचीबद्ध (लिस्टिड) इक्विटी में शुद्ध आस्ति मूल्य (नेट असेट वैल्यू) के दस प्रतिशत से अधिक का निवेश नहीं करेंगी और किसी एक इन्वेस्टी कंपनी की सूचीबद्ध (लिस्टिड) इक्विटी से भिन्न प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में, प्रत्यक्ष रूप से या अन्य आनुकल्पिक निवेश निधियों की यूनिटों में निवेश करके, निवेशयोग्य निधियों (फंड) के दस प्रतिशत से अधिक का निवेश नहीं करेंगी:

परंतु यह कि अक्रेडिटिड निवेशकों के लिए अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाए गए फंड (प्रवर्ग-III की आनुकल्पिक निवेश निधि के) किसी एक इन्वेस्टी कंपनी की सूचीबद्ध (लिस्टिड) इक्विटी में शुद्ध आस्ति मूल्य (नेट असेट वैल्यू) के बीस प्रतिशत तक का निवेश कर सकेंगे और किसी एक इन्वेस्टी कंपनी की सूचीबद्ध (लिस्टिड) इक्विटी से भिन्न प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में, प्रत्यक्ष रूप से या अन्य आनुकल्पिक निवेश निधियों की यूनिटों में निवेश करके, निवेशयोग्य निधियों (फंड) के बीस प्रतिशत तक का निवेश कर सकेंगे;”

- III. विनियम 20 के उप-विनियम (14) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(15) प्रबंधक इन्वेस्टी कंपनियों की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने के संबंध में, सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक [जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में उल्लेख किया गया है] के ग्राहकों से भिन्न किसी निवेशक को सलाहकार (एडवाइज़री) सेवाएँ प्रदान नहीं करेगा, जहाँ वह आनुकल्पिक निवेश निधि निवेश करती हो जिसका प्रबंधन उसके द्वारा किया जाता हो।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./411/2021-22]

**पाद टिप्पण :**

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 तत्पश्चात्, -
  - (1) 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/24/6573, द्वारा
  - (2) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
  - (3) 26 सितम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576, द्वारा
  - (4) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/011, द्वारा
  - (5) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/026, द्वारा
  - (6) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा
  - (7) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/19, द्वारा
  - (8) 10 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/16, द्वारा
  - (9) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
  - (10) 19 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2020/37, द्वारा
  - (11) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2021/01, द्वारा
  - (12) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/21, द्वारा
  - (13) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
  - (14) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/33, द्वारा
  - (15) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/41, द्वारा संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

## NOTIFICATION

Mumbai, the 9th November, 2021

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS) (FIFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

**SEBI/LAD-NRO/GN/2021/57.**— In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (c) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, namely—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2021.

2. They shall come into force on the thirtieth day from the date of their publication in the Official Gazette:

Provided that the amendments to clause (ii) of sub-regulation II of regulation 3 of these Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012,—

I. After clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 2, the following clause shall be inserted, namely,-

*“(fa) “Co-investment” means investment made by a Manager or Sponsor or investor of Category I and II Alternative Investment Fund(s) in investee companies where such Category I or Category II Alternative Investment Fund(s) make investment:*

*Provided that Co-investment by investors of Alternative Investment Fund shall be through a Co-investment Portfolio Manager as specified under the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020;”*

II. in sub-regulation (1) of regulation 15,

i. clause (b) shall be substituted with the following, namely,-

*“(b) The terms of Co-investment in an investee company by a Manager or Sponsor or co-investor, shall not be more favourable than the terms of investment of the Alternative Investment Fund:*

*Provided that the terms of exit from the Co-investment in an investee company including the timing of exit shall be identical to the terms applicable to that of exit of the Alternative Investment Fund:*

*Provided further that the above proviso shall be applicable only for co-investment made from the date of coming into force of this regulation;*

ii. clause (d) shall be substituted with the following, namely,-

*“(d) Category III Alternative Investment Funds shall invest not more than ten per cent of the net asset value in listed equity of an Investee Company and shall invest not more than ten per cent of the investable funds in securities other than listed equity of an Investee Company, directly or through investment in units of other Alternative Investment Funds:*

*Provided that large value funds for accredited investors of Category III Alternative Investment Funds may invest up to twenty per cent of the net asset value in listed equity of an Investee Company and may invest up to twenty per cent of the investable funds in securities other than listed equity of an Investee Company, directly or through investment in units of other Alternative Investment Funds;”*

III. After sub-regulation (14) of regulation 20, the following shall be inserted, namely-

*“(15) The manager shall not provide advisory services to any investor other than the clients of Co-investment Portfolio Manager as specified in the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, for investment in securities of investee companies where the Alternative Investment Fund managed by it makes investment.”*

AJAY TYAGI ,Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./411/2021-22]

**Footnote:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on,—
  - (1) 16th September, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.
  - (2) 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
  - (3) 26th September, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576.
  - (4) 14th August, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/011.
  - (5) 4th January, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/026.
  - (6) 6th March, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.
  - (7) 1st June, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2018/19.
  - (8) 10th May, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2019/16.
  - (9) 17 April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
  - (10) 19th October, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2020/37.
  - (11) 8th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2021/01.
  - (12) 5th May, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/21.
  - (13) 3rd August, 2021 by the (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
  - (14) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/33.
  - (15) 13th August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/41